

गृह (गुप-9) विभाग
शासन सचिव, जयपुर
दिनांक 20/5/2022

राजस्थान सरकार
गृह (गुप-9) विभाग

क्रमांक: प. 35(1) गृह-9/2006पार्ट

जयपुर, दिनांक: 19 MAY 2022

अधिसूचना:-

राज्य सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि जैसलमेर जिले से लगने वाली भारत-पाक सीमा पर घुसपैठिए एवं राष्ट्रविरोधी तत्व सीमा पार कर इस क्षेत्र में राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में संलिप्त हो सकते हैं। जिससे जन सुरक्षा एवं शान्ति भंग होने का पूर्ण अंदेशा है एवं जिले से सटी हुई पाकिस्तान बार्डर के नजदीक पाकिस्तान में लगे मोबाईल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के 3-4 किलोमीटर अन्दर तक आ रहा है जिससे पाकिस्तान से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिये आसानी से सम्पर्क किया जा सकता है एवं जिले से लगने वाली भारत पाक सीमा पर पीएसओ, ई मेल, इन्टरनेट के माध्यम से आपराधिक गतिविधियों एवं अवांछनीय गतिविधियों में लिप्त आपराधिक आचरण करने वाले व्यक्ति विदेशी काल्स/संदेश का प्रयोग कर जन सुरक्षा एवं शान्ति भंग होने का पूर्ण अंदेशा है फलस्वरूप राष्ट्रीय सुरक्षा पर आशंकित खतरे के दृष्टिकोण से पाकिस्तानी मोबाईल सर्विस कम्पनी की सिम के उपयोग करने बाबत प्रतिबन्ध लगाया जाना नितान्त आवश्यक है।

राज्य सरकार इससे सन्तुष्ट है कि भारत पाक सीमा के जैसलमेर जिले में सीमावर्ती क्षेत्र में जिला मजिस्ट्रेट जैसलमेर द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत जारी आदेश क्रमांक 1197, 1193, एवं 1195 दिनांक 11.04.2022 द्वारा लागू किये गये आदेश (प्रतिबन्ध) की अवधि बढ़ाया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः जिला मजिस्ट्रेट जैसलमेर द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत जारी आदेश क्रमांक 1197, 1193, एवं 1195 दिनांक 11.04.2022 की अवधि एतद्वारा आगामी छः माह तक बढ़ाई जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(सीमा कुमार)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि :-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. जिला मजिस्ट्रेट जैसलमेर को उनके पत्र आदेश क्रमांक 1197, 1193, एवं 1195 दिनांक 11.04.2022 के क्रम में।
2. संभागीय आयुक्त, जोधपुर ।
3. महानिरीक्षक पुलिस, जोधपुर ।
4. उप महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल, सेक्टर मुख्यालय, जैसलमेर ।
5. जिला पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर ।
6. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान, जयपुर को उक्त अधिसूचना राजपत्र में ऑनलाईन प्रकाशित किये जाने हेतु। (साफ्ट कॉपी)
7. संयुक्त शासन सचिव, गृह (गुप-6) विभाग को उक्त अधिसूचना विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु ।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव